न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 84/2023 (2023/232)

1. महावीर पुत्र श्रीकिशन जाति खाती
2. नोरती पुत्री नन्दा जाति खाती
3. प्रेम देवी पतिन नन्दा जाति खाती
4. मन्जू पुत्र नन्दा जाति खाती
5. महावीर पुत्र नन्दा जाति खाती
6. बद्री पुत्र रामगोपाल जाति खाती
7. बद्री पुत्र श्योजी जाति जाट
8. कालूराम पुत्र छीतर जाति मीणा

निवासीगण ग्राम फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार कादेडा उपतहसील कादेडा जिला अजमेर
2. तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश गढवाल—अधिवक्ताप्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136, 131 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात वाके ग्राम फारकिया उपतहसील कादेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

तालिका संख्या 1

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
183—174	1046	0.03	गै.मु.चाह
	1047	0.64	चाही 2/जाव 2
	किता 2	कुल रकबा 0.67 हैक्टर	
108—102	1042	0.03	चाही 2/जाव 2
	1043	0.43	चाही 2
	1049	0.22	चाही 2
	किता 3	कुल रकबा 0.68 हैक्टर	
342—334	1052	0.97	बारानी 1
	किता 1	कुल रकबा 0.97 हैक्टर	
38—38	1156	0.27	बारानी 1
	किता 1	कुल रकबा 0.27 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात के बीच निम्न वर्णित आराजीयात स्थित है जो वर्किंग जमाबन्दी में गै.मु. नाला दर्ज होता चला आ रहा था जो सिंचाई के उपयोग में काम आता है जो सेटलमेन्ट कर्मचारियों एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन कर गै.मु.रास्ता दर्ज कर दिया गया था जो कि सहवन से हुआ है एवं दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

तालिका संख्या 2

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1–1	1041 1048 1155	0.05 0.10 0.02	गै.मु.रास्ता गै.मु.रास्ता
	किता 3	कुल रकबा 0.17 हैक्टर	

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अनुसार तालिका संख्या 1 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात है जिसको अर्से दराज से अपने पूर्वजों के समय से ही प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण ही कब्जे काश्त व फसल काश्त करते चले आ रहे है जिस पर अन्य व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है एवं सिंचाई करने बाबत तालिका संख्या 2 में वर्णित आराजीयात जो अर्से दराज पूर्वजो के समय से राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी नाली दर्ज चली आ रही थी, जिसके पुराने खसरा नम्बर 759 व 278 है। उक्त नाली के द्वारा ही प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण तालिका संख्या 1 में वर्णित अराजीयात की सिंचाई करते चले आ रहे है एवं उपयोग उपभोग लेते चले आ रहे है। तालिका संख्या 2 की आराजीयात खसरा नम्बर 1155, 1048, 1041 जिसके पुराने खसरा नम्बर 759 है को सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा सहवन से गै.मु.नाली की जगह गै.मु.रास्ता दर्ज कर दिया है, जबकि उक्त खसरा नम्बर में वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता मौके पर नही है और न ही कभी गै.मु.रास्ता रहा है और ना ही किसी आदेश के अनुक्रम में उक्त वर्णित गै.मु.नाली को रास्ता दर्ज किया गया है, फिर भी यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जबरन अवैध रास्ता भौतिक रूप से निकालना चाह रहे है जो ना होने देना आवश्यक एवं न्यायोचित है। यदि ऐसा होता है तो प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में सिचाई करने की स्थाई नाली से हमेशा के लिए विमुख होना पडेगा। प्रार्थीगण द्वारा कई बार मौखिक रूप से उक्त गै.मु.रास्ता को गै.मु.नाली दर्ज करने का निवेदन किया गया जो कि गलत इन्द्राज हो गया था, परन्तु अप्रार्थीगण ने दुरूस्त करने से मना कर दिया। दिनांक 25.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके कर्मचारियों द्वारा धमकी दी उक्त गलत इन्द्राज गै.मु.रास्ता को भौतिक रूप से निकालेंगे जिस हेतु तुम्हे तुम्हारी 18 फिट जगह से भी बेदखल करेंगे, जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर तालिका संख्या 2 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1041, 1046, 1155 का राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज गै.मु.रास्ता को पूर्व रिकॉर्ड वर्किंग जमाबन्दी अनुसार गै.मु.नाला के रूप में दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार क्षेत्र का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र वास्ते प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का नाम डिलिट करवाने के सम्बंध में एवं प्रकरण को ग्राम पंचायत खवास केम्प में सुनवाई हेतु रखे जाने का पेश किया गया जिस पर बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का नाम विलोपित किया गया। तहसीलदार केकड़ी से जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

1. वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित कथन ग्राम फारकिया के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार योग्य है।
2. वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 के संबंध में ग्राम फारकिया की जमाबन्दी संवत 2058 में खसरा संख्या 1041, 1048, 1155 की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी संवत 2042 के खसरा नम्बर 759 रकबा 01–01–00 बीघा नाली दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 1041, 1048, 1155 साबिक खसरा नम्बर 759 मि0 से बने है।
3. वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 के संबंध में ग्राम फारकिया की वर्किंग जमाबंदी संवत 2042 के खाता संख्या 1 श्री सरकार नदी नाले के खसरा नम्बर 759 1/1 किस्म नाली दर्ज है।
4. वादपत्र के बिन्दु संख्या 3, 5 से 9 वादी स्वयं सिद्ध करें।
5. वादपत्र के बिन्दु संख्या 10 से 12 कानूनी है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट में उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम फारकिया की वर्किंग जमाबंदी संवत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 759 किस्म नाली दर्ज है एवं जमाबंदी संवत 2058 में हाल खसरा नम्बर 1041, 1048, 1155 किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज है। साथ ही तहसीलदार केकड़ी की साथ संलग्न भू.अभि. निरी/पटवारी हल्का रिपोर्ट में भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर नाली दर्ज करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 1041, 1048, 1155 जो कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 759 मि0 से बने है। जमाबन्दी संवत 2042 के खसरा नम्बर 759 की किस्म नाली दर्ज है जबकि इसी खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बर 1041, 1048, 1155 की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज कर दिया गया है जो कि कतई गलत है। वर्तमान में मौके पर कोई भी भौतिक रास्ता मौजूद नही है और ना ही कभी रहा है और ना ही कभी किसी सक्षम स्तर से ऐसा कोई आदेश पारित हुआ है जिसमें उक्त खसरा नम्बरान को गै.मु.रास्ता दर्ज किया गया हो। अतः दौराने सेटलमेंट उपरोक्तानुसार जो किस्म परिवर्तन हुआ है वह कतई गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट मय संलग्न भू.अ.निरी गुलगांव की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा मिलान क्षेत्रफल, ग्राम फारकिया की जमाबंदी संवत 2042 के खसरा नम्बर 759 एवं जमाबंदी संवत 2058 के खसरा नम्बर 1041, 1048, 1155 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति तथा हाल जमाबंदी संवत 2072–75 जमाबन्दी 2076 से स्थायी एवं तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस दिये गये तर्क सही प्रतीत होते है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार/जांच मौका रिपोर्ट में भी ऐसे किसी सक्षम स्तरीय आदेश का हवाला नही दिया गया है जिससे उक्त खसरा नम्बरान की कभी किस्म में परिवर्तन किया गया हो। अर्थात उक्त किस्म परिवर्तन सहवन से होना पाया जाता है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम फारकिया के हाल खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.05 हैक्ट, खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.10 हैक्ट, तथा खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.02 हैक्टर की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर नाली दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर